संख्या: 1/2015/144/25-8-2015-17(07)/2005-टी0सी0-1

प्रेषक,

आलोक कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।
(ई0ओ0डब्लू0 के सेक्टर मुख्यालय लखनऊ/
कानपुर/वाराणसी/मेरठ को छोडकर)।

गृह (गोपन) अनुभाग-8 लखनऊ: दिनांक : 16 जून, 2015

विषय: आर्थिक अपराध अनुसन्धान संगठन (ई0ओ0डब्लू0) द्वारा प्रेषित आपराधिक मामलों की पैरवी एवं अभियोजन कार्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-यू0ओ0-263/सात-न्याय-3-06-17(07)/2005, गोपन अनुभाग-8, दिनांक 28-06-2006 द्वारा आर्थिक अपराध अनुसन्धान संगठन (ई0ओ0डब्लू0) द्वारा प्रेषित आपराधिक मामलों की पैरवी/अभियोजन कार्य सुनिश्चित करने हेतु जनपदीय न्यायालयों में नियुक्त जिला शासकीय अधिवक्ता/अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को अधिकृत किया गया था। शासन के संज्ञान में लाया गया है कि ई0ओ0डब्लू0 द्वारा प्रेषित अभियोगों में आवश्यकतानुसार जिला शासकीय अधिवक्ता/अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की अनुपलब्धता के कारण पैरवी करने में कठिनाई आ रही है। अत: सम्यक विचारोपरान्त उक्त सन्दर्भित शासनादेश संख्या-यू0ओ0-263/सात-न्याय-3-06-17(07)/2005, गोपन अनुभाग-8, दिनांक-28-06-2006 में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ई0ओ0डब्लू0 द्वारा जनपदीय न्यायालयों में प्रेषित अभियोगों में अभियोजन कार्य में प्रभावी पैरवी व सफल संचालन हेतु ई0ओ0डब्लू0 के सेक्टर मुख्यालय जहां अभियोजक नियुक्त है, को छोडकर उस जनपद में नियुक्त ज्येष्ठ अभियोजन/अभियोजन अधिकारी को एतदद्वारा नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

आलोक कुमार
सचिव।

संख्या: 1/2015/144 (1)/25-8-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(2) अपर पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध अनुसन्धान संगठन, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-ईओडब्लू/अ-3/1-2015/38, दिनांक 24-02-2015 के सन्दर्भ में।
(3) समस्त जनपद न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश।
(4) निदेशक, अभियोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
(5) समस्त जनपदीय ज्येष्ठ अभियोजन/अभियोजन अधिकारी, उ0प्र0।
(6) न्याय अनुभाग-3 (नियुक्तियां), उ0प्र0 शासन।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जावेद एहतेशाम)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in